समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

-: आदेश :-

जिले में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए डीजल अनुदान की राशि को प्रखंडवार शिविर के माध्यम से वितरण किया जाना है। इस संदर्भ में दिनांक 20-09-2013 को जिले के प्रत्येक प्रखंड में शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

अतः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी दो दिन पूर्व डीजल अनुदान की सम्पूर्ण राशि की निकासी कर लेंगे एवं उक्त निर्धारित तिथि को पंचायतवार कॉउन्टर स्थापित करेंगे। प्रत्येक कॉउन्टर पर संबंधित राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, पंचायत रोजगार सेवक, कृषि सलाहकार की प्रतिनियुक्ति करेंगे, जिससे लाभुकों को अनुदान वितरण करने में कोई कठिनाई नहीं हो सके।

साथ ही साथ प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में विडियोग्राफर, फोटोग्राफर की व्यवस्था की जाएगी एवं पंचायतवार लाभुकों की सूची पहले से ही तैयार कर ली जाएगी एवं प्राप्ति रसीद छपवा ली जाएगी। प्रत्येक कॉउन्टर पर एक शिकायत पंजी भी रखी जाएगी, ताकि संबंधित पंचायत के लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। साथ ही उक्त शिविर में संबंधित प्रखंड के जनप्रतिनिधियों यथा- प्रखंड प्रमुख, मुखिया, सरपंच आदि को भी आमंत्रित किया जाए, जिससे कि सही लाभुकों का पहचान सुनिश्चित हो सके।

जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा सभी शिविरों का निरीक्षण करेंगे एवं सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंड के शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने प्रखंड में सम्पूर्ण व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे और उसी दिन संध्या को अपना प्रतिवेदन गोपनीय शाखा में प्रस्तुत करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 1924/गो0, मधेपुरा, दिनांक 17/09/13

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/09/13

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।